17/3/21	प्रार्थी की ओर से वकील प्रति उपस्थित वकील अनुपस्थित हुआ। वकील प्रार्थी/प्रति के बार-बार सम्मन करने की आवश्यकता नहीं है अतः सम्मन लगाने लगाने के आदेश जारी किए जाते हैं। वकील प्रार्थी/प्रति प्रति उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रति को प्रार्थना अनुसार पैरवी हेतु वारंट जारी किया जाता है। सम्मन/वारंट तथा ये आदेश रीडर/पेशकार तैयार करें। Gulab Singh

सहायक कलक्टर
जयपुर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 16:41:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner